न्यायालय–बलराम मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा, जिला दमोह (म.प्र.)

Registration NO.	RCT/612/2026
Filing NO.	RCT/1727/2026
C.N.R. NO.	MP3405-002068-2026
Filing Date	18-08-2026

निर्णय दिनांक : 18.08.2026

नियमित आपराधिक प्रकरण कमांक 612/2026

पुलिस थाना गैसाबाद, जिला दमोह के अपराध कमांक 126/2026 अपराध अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 296, 115(2), 118(1) एवं 351(2) से उद्भूत प्रकरण

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गैसाबाद, जिला–दमोह (मध्यप्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	मनोज उर्फ मंजू पिता धनीराम साहू, उम्र–45 वर्ष, निवासी ग्राम भैंसा, थाना गैसाबाद, जिला दमोह (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री दीनदयाल चनपुरिया अधिवक्ता

अपराध की तिथि	06.08.2026
प्र.सू.रि की तिथि	07.08.2026
आरोप पत्र की तिथि	18.08.2026
आरोपों के विरचना की तिथि	18.08.2026
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	18.08.2026
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	18.08.2026

निर्णय की तारीख	18.08.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
अ. 1	मनोज भील	–	–	धारा 296 एवं 118(1) बी.एन.एस. राजीनामा पश्चात्	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	00 दिवस
ब. 2	पारसींग भील						

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा. 1	ईश्वर विश्वकर्मा	सूचनाकर्ता/आहत साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ब.सा.1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्या.सा.1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1/अ.सा. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी. 2/अ.सा. 1	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 1	साक्षी ईश्वर के पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी. 1/अ.सा.	कुछ नहीं

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :–

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श सी. 1/न्या.सा. 1	कुछ नहीं

घ. आवश्यक वस्तुयें :–

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	आ. व.	कुछ नहीं

:–निर्णय–:

–: आज दिनांक **18.08.2026** को घोषित किया गया:–

1. अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 एवं 118(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.08.2026 को समय करीब 22.00 बजे से 22.20 बजे के मध्य स्थान होलिका तिगड्डा, ग्राम भैंसा, थाना गैसाबाद, जिला दमोह (म.प्र.) अर्थात् लोक स्थान में सूचनाकर्ता/आहत ईश्वर विश्वकर्मा को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सूचनाकर्ता/आहत ईश्वर विश्वकर्मा को पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि सूचनाकर्ता/आहत ईश्वर विश्वकर्मा एवं अभियुक्त की ओर से दिनांक 18.08.2026 को राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता ईश्वर विश्वकर्मा ने थाना गैसाबाद में उपस्थित होकर इस आशय की शिकायत की थी कि वह ग्राम भैंसा में रहता है, गांव में बेल्डिंग की दुकान किये है। दिनांक 06. 08.2026 की रात्रि करीबन 10.00 बजे की बात है। वह होलिका तिगड्डा ग्राम भैंसा में मंगोडी खा रहा था, वहीं पर उसके गांव का मंजू उर्फ मनोज साहू चबूतरा पर बैठकर मगोडी खा रहा था, तो उसने कहा कि मंजू एक तरफ हो जाओ उसे भी चबूतरे पर बैठना है। इसी बात को लेकर मंजू उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसने गालियां देने से मना किया तो मंजू ने वहीं पर पडा पत्थर उठाकर मारा जो उसकी दाहिने आंख के ऊपर (भौंह) में लगा, खून निकलने लगा फिर उसकी गर्दन पकडकर पटक दिया जिससे उसके दाहिने हाथ के कौंचा के ऊपर रगड का निशान है। जब वह चिल्लाया तो दिब्बू चौकरया एवं उसके चाचा रामू विश्वकर्मा आ गये, जिन्होंने घटना देखी सुनी व बीच बचाव किया। मंजू उर्फ मनोज साहू जाते जाते कह रहा था कि यदि थाना रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर दूंगा। सूचनाकर्ता की उक्त शिकायत के आधार पर थाना गैसाबाद के अपराध क्रमांक 126/2026 अंतर्गत धारा 296, 115(2), 118(1) एवं 351(2) भा.न्या.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोप पढ़कर सुनाये एवं

समझाये जाने पर अभियुक्त ने उक्त अपराध से इंकार किया। अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य ना आने से अभियुक्त परीक्षण लेखबद्ध नहीं किया गया।

5. **प्रकरण में न्यायिक विनिश्चियन हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :–**

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.08.2026 को समय करीब 22.00 बजे से 22.20 बजे के मध्य स्थान होलिका तिगड्डा, ग्राम भैंसा, थाना गैसाबाद, जिला दमोह (म.प्र.) अर्थात् लोक स्थान में सूचनाकर्ता/आहत ईश्वर विश्वकर्मा को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सूचनाकर्ता/आहत ईश्वर विश्वकर्मा को पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष //

//विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02 के संबंध में //

6. साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को निवारित करने के उद्देश्य से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. अभियोजन साक्षी सूचनाकर्ता/आहत ईश्वर अ.सा.1 ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है, जो कि उसके गांव का है। घटना, दिनांक 06.08.2026 की समय करीब रात करीब 10 बजे की होलिका तिगड्डा ग्राम भैंसा की है। घटना दिनांक को उसका, अभियुक्त से वातावरण हो गया था। उसने उक्त वातावरण की रिपोर्ट थाना गैसाबाद में की थी जो प्रपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसके अलावा कुछ नहीं

हुआ था। पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी परंतु नक्शा मौका प्रपी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की और न ही बयान लिये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को अभियुक्त द्वारा गाली गलौच करने एवं पत्थर से उसे आंख के ऊपर (भौंह) में मारने के संबंध में सुझाव दिये गये, जिन्हें भी उक्त साक्षी ने अस्वीकार किया है।

8. इस प्रकार प्रकरण के अभिलेख पर मात्र सूचनाकर्ता/आहत साक्षी ईश्वर अ.सा.1 की साक्ष्य उपलब्ध है, जिसकी साक्ष्य पर गौर किया जाये तो उक्त साक्षी ने घटना, दिनांक 06.08.2026 को अभियुक्त से वातावरण होना बताया है तथा इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था, बताया है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ अश्लील शब्द उच्चारित करने व उसकी मारपीट करने के संबंध में कोई कथन नहीं किए एवं उक्त संबंध में अभियोजन द्वारा दिये गये सुझावों को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है, यह स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है एवं प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई गाली गलौच नहीं की थी और न ही कोई मारपीट की थी और न ही पत्थर से मारपीट की थी।

9. अतः अभिलेख पर अभियुक्तगण द्वारा सूचनाकर्ता/आहत को गंदी गंदी गालियां उच्चारित करने या अश्लील उच्चारित करने के संबंध में एवं आहत के साथ मारपीट करने या पत्थर से मारने के संबंध में कोई साक्ष्य नही है। इस प्रकार अभिलेख पर उक्त संबंध में कोई साक्ष्य ना होने से उक्त संबंध में अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। विधि के अपेक्षानुसार संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

// अंतिम निष्कर्ष //

10. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना के निष्कर्ष से न्यायालय यह पाता है

कि अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.08.2026 को समय करीब 22.00 बजे से 22.20 बजे के मध्य स्थान होलिका तिगड्डा, ग्राम भैंसा, थाना गैसाबाद, जिला दमोह (म.प्र.) अर्थात् लोक स्थान में सूचनाकर्ता/आहत ईश्वर विश्वकर्मा को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सूचनाकर्ता/आहत ईश्वर विश्वकर्मा को पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।थी। अतः **अभियुक्त** मनोज उर्फ मंजू पिता धनीराम साहू, उम्र–45 वर्ष, निवासी ग्राम भैंसा, थाना गैसाबाद, जिला दमोह (म.प्र.) को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 296 एवं 118(1) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी समस्त जमानत एवं मुचलके पेश नहीं है।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

13. अन्वेषण, जॉच या विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 468 के अनुसार प्रमाण पत्र बनाकर अभिलेख के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

(बलराम मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हटा जिला दमोह म0प्र0

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया

(बलराम मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
हटा जिला दमोह म0प्र0

BALRAM MEENA
Digitally signed by BALRAM MEENA
Date: 2026.08.18 16:24:38 +0530